[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA , PART II, SECTION (3), SUB-SECTION (i), EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, dated the 17th March, 2011

NOTIFICATION

G.S.R. (E): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 637 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and supersession of the notification of the Government of India, in the (Department of Company Affairs), G.S.R. No. 506 (E) dated the 24th June, 1985, except as respects things done or omitted to be don much before such supersession, the Central Government hereby delegates to the Registrars of Companies, the powers and functions of that Central Government under the following provisions of the said Act, namely:-

- Section 21,
- Section 25,
- Proviso to Sub-section (1) of section 31,
- Sub-section (1D) of section 108,
- Section 572 :
- Provided that the powers and functions under sub-section (1D) of section 108 shall be exercised and performed either by the Registrar of Companies of the State in which the registered office of the company is situated, or by the Registrar of Companies of the State in which the transferee ordinarily resides.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5 / 07/ 2011-CL-V]

(Renuka Kumar)
Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड (3), उप-खंड (i), असाधारण में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 16 मार्च, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि. (अ): केन्द्र सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार (कंपनी कार्य विभाग) की 24 जून, 1985 की सा.का.नि. संख्या 506(अ) में प्रकाशित अधिसूचना को प्रतिस्थापित करते हुए, ऐसी बातों के अतिरिक्त जिन्हें इस प्रतिस्थापन से पूर्व ही किया जा चुका है या करने से छूट दी जा चुकी है, एतद्द्वारा कंपनी रजिस्ट्रारों को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है, नामत:

- धारा 21,
- धारा 25,
- धारा 31 के उपखंड (1) का परंतुक,
- धारा 108 की उपधारा (1घ),
- धारा 572:
- बशर्ते कि धारा 108 की उपधारा (1घ) के अंतर्गत अधिकारों व कर्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, अथवा उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार, जिसका अंतरिती सामान्यतया निवासी है, द्वारा किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 5/07/2011-सीएल-V]

रेणुका कुमार

(रेणुका कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार